सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल / "BETA BUILDING", 9th FLOOR
आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गांव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG(EAST)
मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3
फैक्स: 022 – 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022-25752040/1/2/3
Fax: 022 – 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फाईल स. एसडी 13/पी ओ. एल/3/97

दिनांक 01.04.2016

नौवहन विकास परिपत्र संख्या. 05/2016

विषय: भारतीय नियंत्रण वाले टनभार के जलयानों के संदर्भ में दिनांक 23.07.2014 के इस कार्यालय के नौमनि आदेश सं. 10/2014(फाईल नं. नौवि. 12/विविध)(15)/12) अंतर्गत आने वाले जनयानो को दिए जाने वाले लाइसेंसों के लिए जाने वाले शुल्क और यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 के अंतर्गत लाइसेंस पर दिनांक 20/08/2015 के इस कार्यालय के नौवि परिपत्र सं. 3/15 फा. सं. नौ.वि.-13/पीओएल/3/97) में संशोधन- संबंधी।

जबकि, भारतीय नियंत्रण वाले टर्नभार (आईसीटी) प्रतिमान के अंतर्गत जलयानों को लाइसेंस संस्वीकृत किए जाने से संबंधित मामलों के संदर्भ में इस कार्यालय का नौ.वि. परिपत्र सं. 3/2015 दिनांक 28.08.2015 (फा. सं. नौ.वि.-13/पीओएल/3/97) जारी किया गया था ।

2. जबकि, उक्त परिपत्र के परिच्छेद 3.3 मे ऐसे जलयानो को लाईसेंस जारी किए जाने के लिए प्रतिमास प्रभारयोग्य प्रक्रिया शुल्क और लाइसेंस फी विहित है।

3. जबकि, इस कार्यालय को भारतीय पोतस्वामी ऐसोसिएशन (इन्सा) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमे अनुरोध किया गया है कि इस तरह के आवेदनों की प्रक्रिया के लिए उक्त प्रक्रिया शुल्क 20,000/- रुपया (जैसा कि परिपत्र में लिखा है) मात्र एक बार लागू होना चाहिए, न कि इसे बार बार हर महिने लिया जाए।

4. इसलिए अब इन्सा के उक्त अनुरोध पर विचार करते हुए तथा साथ ही, इस बात को ध्यान मे रखते हुवे कि ये जलयान भारतीय नियंत्रण वाली टनभार पद्धति के अन्तर्गत, भारतीय लोगों के स्वामित्व वाले है, इन जलयानों के बारे में निम्नोक्त रूप से निर्णय लिया गया है।

4.1. भारतीय नियंत्रण वाले टनभार प्रतिमान के अंतर्गत आने वाले जो जलयान दिनांक 28.08.2015 के इस कार्यालय के नौवि परिपत्र 3/2015 (फाइल नं. एसडी 13/पी. ओ. एल/3/97) के अनुसार लाइसेसों हेतु आवेदन करेंगे वे आरंभिक रुप से एक ही बार 20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) का भुगतान प्रक्रिया शुल्क के रूप में करेंगे और प्रतिमास लाइसेंस फी के रूप में 15,000/-(पन्द्रह हजार रुपये मात्र) का भुगतान करेंगे। दिनांक 28/08/2015 के उक्त नौवि परिपत्र सं. 03/2015(फाइल नं. नौवि 13/पीओएल/3/97) में विहित अन्य शर्ते और निबंधन यथावत रहेंगे।

5. पूर्वोक्त उपाय जनहित तथा भारतीय नियंत्रण वाले टनभार में और वृद्धि तथा भारतीय टनभार के संवर्धन हेतु जारी किया गया है। इससे आगामी तौर पर, दिनांक 28/08/2015 के उक्त नौवि परिपत्र सं. 03/2015(फाइल नं. नौवि 13/पीओएल/3/97) या इस परिपत्र के किन्ही प्रावधानो को बदलने/आशोधित करने के इस कार्यालय के अधिकार पर कोई असर नही होगा।

6. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(आश मोहम्मद)
सहायक नौवहन महानिदेशक(एसडी)

सेवा में,
सभी हितधारको को नौवहन महानिदेशालय की वेबसाइट के द्वारा।